

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
101	रायगढ़	श्री व्ही.पी.मिश्रा	प्राचार्य	सेजेस शास.उ.मा.वि. लोईग	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस शास.उ.मा.वि.लोईग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
102	महासमुन्द	श्री कौशल कुमार शुक्ला	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. डी.एम. एस.महासमुन्द जिला महासमुन्द	शा.उ.मा.वि. डी.एम.एस. महासमुन्द जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
103	रायपुर	श्री आलोक शुक्ला	सहायक प्राध्यापक	शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर	प्रतिनियुक्ति पर, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
104	बिलासपुर	श्री सौरभ सक्सेना,	सहायक प्राध्यापक	उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर	प्रतिनियुक्ति पर, उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
105	दुर्ग	श्री अनुपम घोष	प्राचार्य	शास.हाईस्कूल झाड़मोखली	शास.हाईस्कूल झाड़मोखली

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
106	दुर्ग	श्री जे पावर्ती श्याम	प्राचार्य	सेजेस उ.मा.वि. चरोदा	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. चरोदा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
कमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र कमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
107	दुर्ग	श्री घनश्याम सिंह साहू	प्राचार्य	शास.हाईस्कूल महकाकला	शास.हाईस्कूल महकाकला

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
108	रायपुर	डॉ. श्रीमती नीता एंथोनी	प्राचार्य	शास.उच्च.माध्य.विद्या. अमलीडीह	शास.उच्च.माध्य.विद्या. अमलीडीह

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
109	दुर्ग	श्री अजय कुमार शर्मा	प्राचार्य	शा.क.उ.मा.वि. तर्रा	शा.क.उ.मा.वि. तर्रा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
110	राजनांदगांव	श्री भरतलाल देवांगन	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.क. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (सेजेस स्कूल)	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस शा.उ.मा.वि.क. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
111	महासमुन्द	श्री सोहनलाल पाटकर	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. बेमचा जिला महासमुन्द	शास.उ.मा.वि. बेमचा जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
112	दुर्ग	श्रीमती अरुणा रेड्डी	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. उरला दुर्ग	शा.उ.मा.वि. उरला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

-: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.:ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
113	दुर्ग	श्री प्रदुमन लाल सिन्हा	प्राचार्य	सेजेस उ.मा.वि. हिन्दी माध्यम कन्या पाटन	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. हिन्दी माध्यम कन्या पाटन

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
114	दुर्ग	श्री मनोहर प्रसाद तिवारी	प्राचार्य	शास.हाईस्कूल सिलतरा	शास.हाईस्कूल सिलतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
115	दुर्ग	श्री मालू सिंह चौहान	प्राचार्य	शा.हाई स्कूल पाहरा	शा.हाई स्कूल पाहरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
116	बालोद	श्री थलेश कुमार साहू	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.धनेली	शास.उ.मा.वि.धनेली

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
117	राजनांदगांव	श्रीमती अन्नपूर्ण बाघमारे	प्राचार्य	श.उ.मा.वि.शंकरपुर, जिला राजनांदगांव	श.उ.मा.वि.शंकरपुर, जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
118	दुर्ग	श्रीमती प्रमिला कौर	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. कपसदा	शा.उ.मा.वि. कपसदा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
119	धमतरी	श्री विनोद कुमार अग्रवाल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.बिरझुली	शा.उ.मा.वि.बिरझुली

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
120	बिलासपुर	श्री विश्वजीत नाग	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. मिट्ठूनवागांव, जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. मिट्ठूनवागांव, जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
121	जांजगीर-चाम्पा	श्री रमेश कुमार गढेवाल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. करमंदा	शा.उ.मा.वि. करमंदा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
122	कबीरधाम	श्री रामशरण साहू	सहायक प्राध्यापक	जिला शिक्षा एवं प्रशि.संस्थान महाराजपुर	प्रतिनियुक्ति पर, जिला शिक्षा एवं प्रशि.संस्थान महाराजपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
123	महासमुन्द	श्री सुरेन्द्र कुमार भोई	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बरनाईदादर जिला महासमुन्द	शा.उ.मा.वि. बरनाईदादर जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
124	मुंगेली	श्री रामाधर लास्कर	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.जरहागांव	शा.उ.मा.वि.जरहागांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
125	सक्ती	श्री मुरलीधर सारथी	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.मंडवा	शा.उ.मा.वि.मंडवा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
126	जांजगीर-चाम्पा	श्री रामप्रसाद मधुकर	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. देवरी(ब)	शा.उ.मा.वि. देवरी(ब)

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
127	बिलासपुर	श्री दिनेश कुमार कुर्रे	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.कन्या पचपेडी	शा.उ.मा.वि.कन्या पचपेडी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
128	मुंगेली	श्री राम कुमार कांत	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.बैतलपुर	शा.उ.मा.वि.बैतलपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
129	मुंगेली	श्री सौखी लाल पंकज	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.चकरभठा	शा.उ.मा.वि.चकरभठा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
130	बिलासपुर	श्री प्रदीप कुमार केरकेट्टा,	प्राचार्य	सेजेश शा.उ.मा.वि. कन्या चकरभाठा जिला बिलासपुर	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेश शा.उ.मा.वि.कन्या चकरभाठा जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
131	जशपुर	श्रीमती सिब्रीमेरी खाखा,	प्राचार्य	शा.हाई स्कूल लोधमा	शा.हाई स्कूल लोधमा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

-: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
132	राजनांदगांव	श्री नंदलाल लिमजे	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.सुन्दरा, जिला राजनांदगांव	शा.उ.मा.वि.सुन्दरा, जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
133	दुर्ग	श्रीमती सेजा मारकंडे	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. गोंडपेण्डी	शा.उ.मा.वि. गोंडपेण्डी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
134	रायपुर	श्री मुकेश कुमार बंसोडे	प्राचार्य	शास.उच्च.माध्य.विद्या. छछानपैरी रायपुर	शास.उच्च.माध्य.विद्या. छछानपैरी रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
135	दुर्ग	श्रीमती सुधा कुर्रे	प्राचार्य	सेजेस जे.पी.नगर केम्प 02 भिलाई	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस जे.पी.नगर केम्प 02 भिलाई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
136	सारंगढ़-बिलाईगढ़	श्री एस0पी0 भारती	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. कोसीर	शा.उ.मा.वि.कोसीर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
137	रायगढ़	श्री रामचरण नवनीत	प्राचार्य	बालक उ.मा.वि.कोतरा (सेजेस)	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस बालक उ.मा.वि.कोतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
138	राजनांदगांव	श्री हंसराज सोनपिपरे	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.तेंदुनाला, जिला राजनांदगांव	शा.उ.मा.वि.तेंदुनाला, जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
139	गरियाबंद	श्री कृष्ण चंद बघेल	प्राचार्य	स्वा.आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय झाखरपारा	प्रतिनियुक्ति पर, स्वा. आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय झाखरपारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

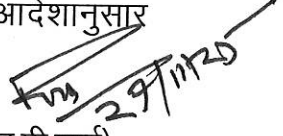
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
140	महासमुन्द	श्री आनंद कुमार दास	प्राचार्य	शा.हाई स्कूल रसोड़ा जिला महासमुन्द	शा.हाई स्कूल रसोड़ा जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
141	गरियाबंद	श्री मेहतरु राम रात्रे	प्राचार्य	शास. उ.मा.वि. कौंदकेरा	शास. उ.मा.वि. कौंदकेरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
142	बिलासपुर	श्री फाल्गुनी मंडल	प्राचार्य	सेजेश शा.उ.मा.वि. बालक सरकण्डा, जिला बिलासपुर	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेश शा.उ.मा.वि.बालक सरकण्डा, जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
143	बिलासपुर	श्री आर.वी.वी. एस.एन.एस.राम कुमार	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. शंकरनगर, जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. शंकरनगर, जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
144	सरगुजा	श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता	सहायक प्राध्यापक	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अम्बिकापुर, सरगुजा	प्रतिनियुक्ति पर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अम्बिकापुर, सरगुजा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
145	जांजगीर-चाम्पा	श्री कृष्णकांत साहू	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. सिवनी(च)	शा.उ.मा.वि. सिवनी(च)

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
146	जांजगीर-चाम्पा	श्री कृष्ण मुरारी जायसवाल	सहायक प्राध्यापक	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर	प्रतिनियुक्ति पर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
147	रायपुर	श्री मुकुंदराम साहू	सहायक प्राध्यापक	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	प्रतिनियुक्ति पर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
148	ब.बा. -भाटापारा	श्रीमती कल्पना झा	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.हिरमी	शा.उ.मा.वि.हिरमी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
149	बालोद	श्री रमेश कुमार वर्मा	प्राचार्य	शास.उच्च.माध्य.शाला कोटगांव	शास.उच्च.माध्य.शाला कोटगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
150	राजनांदगांव	श्रीमती पूर्णिमा शुक्ला	प्राचार्य	म.ल.ब.क.उ.मा.वि. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव	म.ल.ब.क.उ.मा.वि. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
151	रायपुर	श्री देवेंद्र कुमार देवांगन	प्राचार्य	शास.क.उच्च.माध्य. विद्या.नवापारा राजिम	शास.क.उच्च.माध्य. विद्या.नवापारा राजिम

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
152	दुर्ग	श्रीमती सुनीता दीवान	प्राचार्य	सेजेस उ.मा.वि. खम्हरिया	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. खम्हरिया

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
153	बालोद	श्री मोहन लाल गजेन्द्र	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बेलमाण्ड	शा.उ.मा.वि. बेलमाण्ड

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
154	दुर्ग	श्री आमोद कुमार सिंह	प्राचार्य	शास.हाईस्कूल तुमाकला	शास.हाईस्कूल तुमाकला

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
155	राजनांदगांव	श्री समीरकांत यदु	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.पदुमतरा, जिला राजनांदगांव	शा.उ.मा.वि.पदुमतरा, जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
156	दुर्ग	श्रीमती सुनीता लक्ष्मी टिपले	प्राचार्य	शा.क.उ.मा.वि. सुपेला	शा.क.उ.मा.वि. सुपेला

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
157	रायपुर	श्री अमरदास कुर्रे	सहायक संचालक	लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर	लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
158	दुर्ग	श्रीमती पी. स्मिताराव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. मुक्तिधाम रामनगर भिलाई	शा.उ.मा.वि. मुक्तिधाम रामनगर भिलाई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
159	राजनांदगांव	श्रीमती कविता मिश्रा	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.कोहका, जिला राजनांदगांव	शा.उ.मा.वि.कोहका, जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
160	रायपुर	श्रीमती सुची विश्वास	प्राचार्य	शास.क.उ.मा.वि. कटोरातालाब	शास.क.उ.मा.वि. कटोरातालाब

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
161	दुर्ग	श्री होम लाल जांगड़े	प्राचार्य	सेजेस उ.मा.वि. पाउवारा	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. पाउवारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
162	ब.बा. -भाटापारा	श्री जिबेश्वर चौहान	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. चांदन	शा.उ.मा.वि. चांदन

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
163	रायपुर	श्री राधेलाल चतुर्वेदी	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. परसुलीडीह	शास.उ.मा.वि. परसुलीडीह

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
164	रायपुर	श्रीमती मीना बंजारे	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.दलदल सिवनी	शास.उ.मा.वि.दलदल सिवनी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
165	बेमेतरा	श्री भिखूराम हिरवानी	प्राचार्य	शास.उ.मा.शाला अधियारखोर	शास.उ.मा.शाला अधियारखोर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
166	कोण्डागांव	श्री पी.एस. डेनियल	प्राचार्य	शास. उ.मा.वि तहसीलपारा कोण्डागांव जिला कोण्डागांव	शास. उ.मा.वि तहसीलपारा कोण्डागांव जिला कोण्डागांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
167	रायपुर	श्री अरुण कुमार सिन्हा	प्राचार्य	शास.हाईस्कूल सोनतरा	शास.हाईस्कूल सोनतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
168	जशपुर	श्री जोवाकिम बेक	प्राचार्य	शा.हाईस्कूल बारो	शा.हाईस्कूल बारो

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
169	सक्ती	श्री धन्नूलाल चौहान	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बरपालीकलॉ	शा.उ.मा.वि. बरपालीकलॉ

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
170	मुंगेली	श्री प्रदीप चंद्र दिव्य	प्राचार्य	आ.उ.हि.मा.बी.आर. साव. शा.उ.मा.वि. मुंगेली	प्रतिनियुक्ति पर, आ.उ. हि.मा.बी.आर.साव. शा. उ.मा.वि.मुंगेली

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
171	जांजगीर-चाम्पा	श्री संतकुमार रात्रे	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. ढोरला	शा.उ.मा.वि. ढोरला

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
172	जांजगीर-चाम्पा	श्री राज कुमार बंजारे	प्राचार्य	शा.महा.उ.मा.वि. पामगढ़ (सेजस)	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस शा.महा.उ.मा.वि. पामगढ़

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
173	बिलासपुर	डॉ. श्रीमती नीला चौधरी	सहायक प्राध्यापक	उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर	प्रतिनियुक्ति पर, उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
174	रायगढ़	श्री बी.एल. डनसेना	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.नंदेली	शास.उ.मा.वि.नंदेली

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
175	रायपुर	श्री चिन्मय वर्मा	प्राचार्य के समकक्ष पद पर	राज्य ग्रंथालय प्रकोष्ठ लो.शि.संचा. जिला रायपुर	राज्य ग्रंथालय प्रकोष्ठ लो.शि.संचा.जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
176	गरियाबंद	श्री पिताम्बर सिंह ध्रुव	प्राचार्य	शास. उ.मा.वि. बोरिद	शास. उ.मा.वि. बोरिद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
177	सारंगढ़ बिलाईगढ़	श्री श्याम सुन्दर संवर	प्राचार्य	शा. उमावि. पुरगौव	शा. उमावि. पुरगौव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
178	महासमुन्द	श्री यज्ञराम सिदार	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. अंकोरी जिला महासमुन्द	शा.उ.मा.वि. अंकोरी जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
179	गरियाबंद	श्री भंवर लाल ध्रुव	प्राचार्य	शास. राम बिशाल पाण्डेय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल राजिम	प्रतिनियुक्ति पर, शास. राम बिशाल पाण्डेय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल राजिम

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
180	महासमुन्द	श्री भीखम सिंह धुव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बावनकेरा जिला महासमुन्द	शा.उ.मा.वि. बावनकेरा जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
181	महासमुन्द	श्री दिलीप कुमार मरावी	प्राचार्य	सेजेस उ.मा.वि. भूकेल जिला महासमुन्द	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. भूकेल जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
182	महासमुन्द	श्री राजेन्द्र कुमार भोई	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. किसड़ी जिला महासमुन्द	शा.उ.मा.वि. किसड़ी जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
183	सारंगढ़ बिलाईगढ़	श्री ठंडाराम सिदार	प्राचार्य	शा. उमावि. धनसीर	शा. उमावि. धनसीर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
184	ब.बा. -भाटापारा	श्री शत्रुहन लाल ध्रुव	प्राचार्य	सेजेस शा.उ.मावि. कोसमंदा	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस शा.उ.मावि. कोसमंदा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

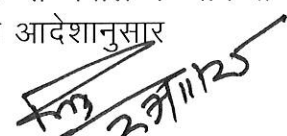
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
185	ब.बा. -भाटापारा	श्री राधेश्याम ध्रुव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.कोदवा	शा.उ.मा.वि.कोदवा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

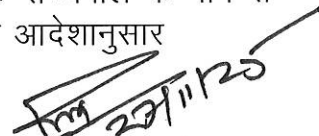
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
186	ब.बा. -भाटापारा	श्री रामकुमार ध्रुव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.बनसांकरा	शा.उ.मा.वि.बनसांकरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
187	गरियाबंद	श्री पुसु राम नेताम	प्राचार्य	शास. उ.मा.वि. भसेरा	शास. उ.मा.वि. भसेरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
188	ब.बा. —भाटापारा	श्री भगवती राम मरकाम	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.जरौद	शा.उ.मा.वि.जरौद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
189	जांजगीर-चाम्पा	श्रीमती रुखमणी कंवर	प्राचार्य	शा.क.उ.मा.वि. खोखरा	शा.क.उ.मा.वि. खोखरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
190	सक्ती	श्री रामभरोस सिदार	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. पिरदा	शास.उ.मा.वि. पिरदा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
191	सरगुजा	श्री एडवर्ड टोप्पो	प्राचार्य	शा.बहु.उ.मा.वि. अम्बिकापुर	शा.बहु.उ.मा.वि. अम्बिकापुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
192	बेमेतरा	श्री रामकुमार पात्रे	प्राचार्य	शास.उ.मा.शाला बाबामोहतरा	शास.उ.मा.शाला बाबामोहतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
193	बेमेतरा	श्री धन्नू लाल भूआर्य	प्राचार्य	शास. उ.मा.शाला हाटरांका	शास. उ.मा.शाला हाटरांका

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

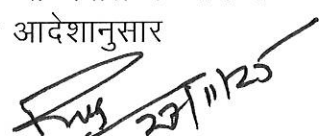
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
194	महासमुन्द	श्री पंचानंद ठाकुर	प्राचार्य	शास.हाई स्कूल खोकसा जिला महासमुन्द	शास.हाई स्कूल खोकसा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
195	महासमुन्द	श्री घनश्याम सिंह ठाकुर	प्राचार्य	शा. हाईस्कूल अमलोर जिला महासमुन्द	शा. हाईस्कूल अमलोर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
196	महासमुन्द	श्री दासरथी बरिहा	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. परसवानी जिला महासमुन्द	शा.उ.मा.वि. परसवानी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
197	सूरजपुर	श्री दया किशोर कुजूर	प्राचार्य	शा.बा.उ.मा.वि.प्रतापपुर	शा.बा.उ.मा.वि.प्रतापपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
198	रायपुर	श्री संजय कुमार शर्मा	सहायक संचालक	रा.परि.यो. कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर	प्रतिनियुक्ति पर, रा.परि. यो. कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
199	रायपुर	श्रीमती संध्या तिवारी	प्राचार्य	शास.हाईस्कूल निनवा	शास.हाईस्कूल निनवा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
200	मुंगेली	श्रीमती पूर्णिमा मिश्रा	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. फास्टरपुर	शा.उ.मा.वि. फास्टरपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीनः
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

- 1/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
- 2/ निज सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
- 3/ मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
- 4/ सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर।
- 5/ संचालक, लोक शिक्षण, छ.ग., इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- 6/ संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर।
- 7/ प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा छ.ग.रायपुर।
- 8/ समस्त कलेक्टर छ.ग.।
- 9/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, छ.ग.।
- 10/ प्राचार्य, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर एवं शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, छ.ग.।
- 11/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 12/ समस्त प्राचार्य डाइट/बाइट छ.ग.।
- 13/ समस्त जिला कोषालय अधिकारी छ.ग.।
- 14/ समस्त संबंधित प्राचार्य शा.हाई स्कूल/उ.मा.वि.....छ.ग.।
- 15/ सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री/.....छ.ग.।
- 16/ गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग